

Order Sheet [Contd]

श्री १८०० प्रमाणित गीत २२ चलाश आदर

२० वं० गुप्ता

Case No. 7007.36 of 20 1.6.2020

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
23-03-17	<p>राज्य द्वारा ए डी पी ओ उपस्थित। अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री रघुनाथ त्रिवेदिया। फरियादी देवेन्द्र जाटव उप०। फरियादी देवेन्द्र की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320 द०प्र०स० राजीनामा हेतु अनुमति बाबत मय राजीनामा अतर्गत धारा 320-2 हस्ताक्षर एवं छायाचित्र युक्त प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री मुकेश कुशवाह एवं अभियुक्तगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री रघुनाथ त्रिवेदिया द्वारा की गई। उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया। फरियादी ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी मय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। राजीनामा के संबंध में फरियादी का कथन प्रस्तुत किया। अभियुक्तगण पर भा०द०वि० की धारा 294, 323, 325 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जो कि न्यायालय की अनुमति से फरियादी/आहत द्वारा शमनीय होना उपबधित है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है। अतः राजीनामा बाद तत्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को संहिता की धारा 294, 323, 325 सहपठित धारा 34 भा०द०वि० के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है। अभियुक्तगण की जमानत भारहीन की जाती है उनके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रभावी रहेंगे। प्रकरण में जबाशुदा संपत्ति लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि बाद नष्ट की जावे, अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो। प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।</p>	<p>देवेन्द्र</p> <p>deventi trivedi name</p> <p>Chandra</p> <p>शमनाथ</p> <p>deventi trivedi</p> <p>Chandra</p>

२० वं० गुप्ता
नायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
लेबर जिला सिण्ड म०ए०